

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.3(ख)बी-971/2013/अलेसे-III/149

दिनांक :- 25-1-2023

कार्यालय आदेश

श्री बसंत कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उप कोषाधिकारी, खण्डेला (सीकर) को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 17.01.2023 के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ते की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 17.01.2023 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।



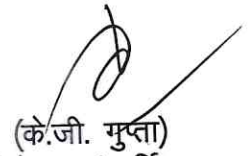
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.3(ख)बी-971/2013/अलेसे-III/149

दिनांक :- 25-1-2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप कोषाधिकारी, खण्डेला (सीकर)।
2. कोषाधिकारी, सीकर।
3. श्री बसंत कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उप कोषाधिकारी, खण्डेला (सीकर)।
4. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीट/ निजि /रक्षित पत्रावली।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II एवं III)